राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2148/2004

पदम कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी द्वारा यह तथ्य अंकित किये गये है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति व्याख्याता के पद पर हुई थी। जिसके उपरान्त अपीलार्थी ने दिनांक 07.02.1970 को कार्य ग्रहण किया था। इसके पश्चात अपीलार्थी को दिनांक 01.12.1976 को कन्फर्म किया गया। अपीलार्थी को वरिष्ठता एवं चयनित वेतनमान का लाभ क्रमशः दिनांक 01.01.1986 एवं 07.02.1986 से प्रदान किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि दिनांक 1997–98 की रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी को वाईस प्रिसिपल के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गयी। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 300/1998 प्रस्तुत की गयी, जिसमें अपीलार्थी ने स्वयं को पदोन्नति से वंचित किये जाने को चुनौती दी थी। उपरोक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी के वर्ष 1994–95 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्ठियां थी, जिसकी सूचना अपीलार्थी को दिनांक 17.05.1986 के जरिये दी गयी थी। जिसके विरूद्ध उन्होंने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया। ऐसे में प्रतिकूल प्रविष्ठियां अंतिम रूप ले चुकी है। अपील का निस्तारण करते हुए अधिकरण द्वारा यह आदेश दिया गया कि अपीलार्थी अपनी प्रतिकूल प्रविष्ठियों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निर्णय लिया जावे एवं यदि अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय होता है तो विभागीय पदोन्नति

समिति के सामने अपीलार्थी का मामला पुनः रखा जावे एवं अपीलार्थी पर पदोन्नति के लिये विचार किया जावे। इसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा दिया गया अभ्यावेदन लम्बे समय तक निर्णित नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन बाद में आदेश दिनांक 31.01.2002 के द्वारा मैकेनिकल रूप से निर्णित करते हुए अपीलार्थी की प्रतिकूल प्रविष्ठियों को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी ने पुनः अपील संख्या 1948/2000 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अधिकरण द्वारा दिनांक 17.12.2002 को स्वीकार की गयी और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी की प्रतिकूल प्रविष्ठियों को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी के सम्बन्ध में पुनः डीपीसी में अपीलार्थी को पदोन्नति देने के लिये विचार किया जाए और अपीलार्थी उपयुक्त पाया जाता है तो उसे पुनः कनिष्ठ व्यक्तियों के समान पदोन्नति का लाभ दिया जाए एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें। माननीय अधिकरण के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 5226/2003 प्रस्तुत की गयी जो उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2004 को खारिज की गयी। इसके पश्चात अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट वर्ष 1998–99 के सम्बन्ध में प्रतिकूल प्रविष्ठियां होने की सूचना अपीलार्थी को पत्र दिनांक 30.05.2000 के जरिये दी गयी। प्रतिकूल प्रविष्ठियां डॉ. आर.के. शर्मा ने गलत रूप से की है। अपीलार्थी ने वर्ष 1998–99 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रतिकूल प्रविष्ठियों को हटाने के सम्बन्ध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गयी अपीलों में अधिकरण के समक्ष विभाग की ओर से आक्षेपों, कथनों एवं अधिकरण द्वारा पारित निर्णय से क्षुद्ध होकर विभागीय अधिकारियों द्वारा श्री आर के शर्मा के विरूद्ध जांच कार्यवाही आरम्भ की गयी। किन्तु अपने आप को निर्दोष साबित करने के उद्देश्य से एवं त्रुटिपूर्वक अपीलार्थी की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट वर्ष 1998–99 में प्रतिकूल प्रविष्ठियां बिना किसी युक्ति–युक्त आधार के मनगढंत तरीके से की गयी है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया अभ्यावेदन मैकेनिकल एवं गलत तरीके से खारिज किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.11.2002 के द्वारा स्वयं की वेतन श्रृंखला में पातेय वेतन पर उप आचार्य के पद पर पदस्थापन किया गया। परन्तु अपीलार्थी द्वारा जो पूर्व में पदोन्नति का लाभ मांगा गया था वह लाभ अपीलार्थी को प्रदान नहीं किया गया। इसके पश्चात आदेश दिनांक 04.09.2004 को अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति श्री सतीश चन्द्र, श्री देवेन्द्र कुमार

सोनेजी, श्री सी पी तनेजा, श्री अरूण कुमार माथुर वगैरह को वर्ष 1999–2000 की रिक्तियों के विरूद्ध उप आचार्य के पद पर वरिष्ठता–सह–योग्यता के रिक्त पदों के लिये पदोन्नति का लाभ दिया गया। अर्थात अपीलार्थी के विरूद्ध वर्ष 1998–99 में प्रतिकूल प्रविष्ठियां होने के आधार पर अपीलार्थी को लाभ से वंचित रखा गया। पूर्व में वर्ष 1994–95 की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्ठियां होने के कारण अपीलार्थी को वर्ष 1999–2000 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति से वंचित किया गया और उसके पश्चात अपीलार्थी को बाद के वर्ष 1998–99 की एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्ठियां होने के आधार पर पुनः 2000–01 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति से वंचित रखा गया जो उचित नहीं है।

2. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को वर्ष 1999–2000 की रिक्तियों के विरूद्ध उप आचार्य के पद पर पदोन्नति दी जाए एवं उसके पश्चात अपीलार्थी को पारिणामिक रूप से प्रधानाचार्य के पद पर वर्ष 2002–03 के पदों के विरूद्ध नियुक्ति दी जाए।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया है कि अपीलार्थी को वर्ष 1999–2000 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार में रखा गया परन्तु अपीलार्थी की वर्ष 1998–99 की एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्ठियां थी। इस कारण से अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। अपीलार्थी को पुनः वर्ष 2000–01 की रिक्तियों के विरूद्ध विचार में रखा गया और अपीलार्थी को वर्ष 2000–01 में पदोन्नति का लाभ दिया गया। यह भी तथ्य अंकित किया गया है कि अपीलार्थी ने श्री आर के शर्मा के विरूद्ध गलत रूप से एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्ठियां किये जाने का आक्षेप लगाया, परन्तु श्री आर के शर्मा को इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है।
4. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
5. अपीलार्थी ने इस अपील में यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को वाईस प्रिसिपल के पद पर वर्ष 1999–2000 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति का लाभ दिया जाए। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अपीलार्थी को वर्ष 1999–2000 की रिक्तियों के विरूद्ध उप आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। क्योंकि अपीलार्थी के विरूद्ध वर्ष 1998–99 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्ठियां थी। उक्त प्रतिकूल प्रविष्ठियों के सम्बन्ध में अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि प्रतिकूल प्रविष्ठियां डॉ. आर के शर्मा द्वारा डाली गयी है, जो दुर्भावना से ग्रसित होकर

डाली गयी है। अपीलार्थी ने श्री आर के शर्मा को इस अपील में पक्षकार नहीं बनाया है। हमारे मत में इस अधिकरण को प्रतिकूल प्रविष्ठियां निरस्त किये जाने का अधिकार नहीं है। जहां तक अपीलार्थी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्ठियों को हटाये जाने का प्रश्न है, तो हमारे मत में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण Tayyab Ali Vs State of Rajasthan 1988(2)WLN255 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:–

> *"We are therefore, of the opinion that an adverse entry in the Annual Performance Appraisal Report or any order rejecting representation against the same is not included within the ambit of Sub-clause (v) of Clause (f) of Section 2 of the Act; and, therefore, an appeal to the Tribunal merely against such an adverse entry or an order rejecting the representation against the same does not lie under the Act. We are also of the opinion that even though such an adverse entry or an order rejecting the representation against the same by itself is not appealable to the Tribunal as already stated, yet the correctness thereof can be assailed by the Government Servant while challenging any consequent order based on or influenced by it relating, to any of the matters specified in the several sub-clauses of Clause (f) of Section 2; and in that event the limitation for appeal to the Tribunal will be reckoned from the date of the consequent order and not the date of the adverse entry or the order rejecting the representation against it. We answer the above quoted question accordingly."*

6. अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि इस अधिकरण को प्रतिकूल प्रविष्ठियों को निरस्त किये जाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकरण केवल मात्र यह निर्णय दे सकता है कि पदोन्नति प्रदान करते समय प्रतिकूल प्रविष्ठियों को नजरअंदाज किया जा सकता है या नहीं। अपीलार्थी द्वारा जो पूर्व में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल प्रविष्ठियां निरस्त किये जाने हेतु अभ्यावेदन वर्ष 1998–99 में प्रस्तुत किया था वह निरस्त किया जा चुका है। जो प्रतिकूल प्रविष्ठियां वर्ष 1998–99 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट में अंकित की गयी है वे निम्न प्रकार से हैं :–

> प्राचार्य को निदेशालय से प्रेषित एवं गोपनीय पत्र की फोटो प्रति अनुचित तरीके से प्राप्त की। जांच में जांच अधिकारी को सहयोग नहीं किया और तथ्यों की सही जानकारी नहीं दी।

7. अधिकरण के मत में उपरोक्त प्रविष्ठियां इस प्रकार से प्रकट नहीं हुई है, जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पूर्णतः नजरअंदाज किया जा सकता हो। यह विभागीय पदोन्नति समिति के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इस प्रकार की टिप्पणियां होने के बाद भी अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ दे। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी को वर्ष 1999–2000 के रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु अपीलार्थी को उपयुक्त नहीं माना गया, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है। अपीलार्थी को वर्ष 2000–01 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति का लाभ दिया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचनों के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते है, परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)